



हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2011 - 2012



प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हरियाणा, चण्डीगढ़



प्रस्तावना

यह संकलन 'लेखे एक दृष्टि में', विभिन्न पण-धारियों की, हरियाणा राज्य के वित्त-सार पर, पाठक सहयोगी संस्करण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है। इस क्रम में यह तेरहवां संस्करण है।

यह संस्करण, इस कार्यालय द्वारा भारत के संविधान की धारा 149 एवं नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 खण्ड-॥ के अधीन तैयार वित्त-लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज वृहदाकार सूचनाओं का सार है।


राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे समाहित हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखों के अन्तर्गत लेखों का सार है। विनियोग लेखे राज्य विधान-मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान-वार व्यय और प्रावधानित निधियों तथा वास्तविक व्यय के बीच विभिन्नता सम्बन्धी व्याख्यानों को दर्शाता है।

'लेखे एक दृष्टि में' वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज, सरकार की गतिविधियों का सम्पूर्ण दृश्य दिखाता है। पण-धारियों-विधायिका, कार्यपालिका एवं जनता को लेखों की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सूचनाओं को संक्षिप्त व्याख्या, विवरणी, रेखाचित्र एवं समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हरियाणा सरकार के वित्त-लेखों, विनियोग लेखों एवं राज्य के वित्त पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सहित 'लेखे एक दृष्टि में' का अवलोकन पण-धारियों को राज्य के वित्त के विभिन्न पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझाने में सहायक होगा।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा है।

स्थान: चण्डीगढ़

दिनांक: 11-03-2013



हमारा परिदृश्य, उद्देश्य और अन्तर्मूल्य

भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षा संस्थान का परिदृश्य यह प्रस्तुत करना है कि हम क्या बनने के अभिलाषी हैं।

हम प्रयत्नरत हैं कि हम लेखा और लेखा परीक्षा के मामले में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम व्यवहारों के सम्बंध में, सार्वभौमिक नेतृत्व प्राप्त करें, और सार्वजनिक वित्त व शासन के संबंध में स्वतंत्र, साख पूर्ण, संतुलित और समायोजित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

हमारा उद्देश्य वर्णन करता है कि हम आज कल क्या कर रहे हैं, और हमारी वर्तमान भूमिका क्या है।

भारत के संविधान द्वारा समर्थित, हम उच्च गुणवत्तापूर्ण लेखा व लेखा परीक्षा के माध्यम से जिम्मेवारी, पारदर्शिता और सुशासन को प्रोत्साहन देते हैं तथा हमारे पण्धारियों-विधानपालिका, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र वचन देते हैं कि सार्वजनिक धन का दक्षता पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग हो रहा है।

हमारे अन्तर्मूल्य, जो कुछ हम करते हैं उसके संबंध में हमें दिशा निर्देश देते हैं और हमारे प्रदर्शन के मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक चिन्ह प्रदान करते हैं।

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपूर्णता
- एकरूपता
- विश्वसनियता
- व्यवहारिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मकता

विषय - सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	परिदृश्य	
1.1	परिचय	1
1.2	लेखाओं की संरचना	1
1.3	वित्त लेखे और विनियोग लेखे	2
1.4	निधियों की स्रोत व उपयोग	4
1.5	लेखों के मुख्य अंश	7
1.6	घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शाते हैं ?	8
अध्याय 2	प्राप्तियाँ	
2.1	परिचय	11
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	11
2.3	प्राप्तियों के रूझान	12
2.4	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन	14
2.5	कर संग्रह की कार्य कुशलता	14
2.6	करों में राज्य के हिस्से का रूझान	15
2.7	सहायतानुदान	16
2.8	लोक ऋण	16
अध्याय 3	व्यय	
3.1	परिचय	17
3.2	राजस्व व्यय	17
3.3	पूँजीगत व्यय	19
अध्याय 4	योजनागत और गैर योजनागत व्यय	
4.1	व्यय का वितरण (2011-12)	21
4.2	योजनागत व्यय	21
4.3	गैर योजनागत व्यय	22
4.4	प्रतिबद्ध व्यय	24
अध्याय 5	विनियोग लेखे	
5.1	विनियोग लेखे 2011-12 का सारांश	25
5.2	पिछले पाँच वर्षों का बचत/आधिक्य के रूझान	25
5.3	महत्वपूर्ण बचत	25
अध्याय 6	परिसम्पत्तियाँ और दायित्व	
6.1	परिसम्पत्तियाँ	26
6.2	ऋण और दायित्व	26
6.3	गारंटी	27
अध्याय 7	अन्य मर्दे	
7.1	राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम	28
7.2	स्थानीय और अन्य को वित्तिय सहायता	28
7.3	रोकड़ शेष का निवेश और नकदी शेष	28
7.4	लेखाओं का समाशोधन	29
7.5	वैयक्तिक जमा खाते	29

अध्याय 1

परिदृश्य

1.1. परिचय


प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, हरियाणा सरकार के आय व व्यय के लेखों को संकलित करते हैं। ये लेखे, जिला कोषागारों, लोक निर्माण विभाग व वन मण्डलों के अधिकारियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गयी सुचनाओं पर आधारित होते हैं। इसके उपरांत प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रति वर्ष वित्त लेखे व विनियोग लेखे तैयार करते हैं, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा परीक्षित व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

1.2. लेखाओं की संरचना


1.2.1. सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I समेकित निधि	राजस्व व पूँजीगत, लोक देनदारियां एवं ऋण व अग्रिम से सम्बन्धित सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय।
भाग II आकस्मिक निधि	बजट में प्रावधान न किये गये आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु। इस निधि से खर्च की बाद में समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।
भाग III लोक लेखा	ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचन्त लेन-देन। ऋण तथा जमा राज्य सरकार के दायित्वों को दर्शाते हैं। अग्रिम सरकार के प्राप्तेय हैं। प्रेषण तथा उचन्त लेन-देन, ऐसी प्रविष्टियां होती हैं जिन्हें कालान्तर में अंतिम लेखाशीर्षों में समायोजित किया जाता है।

1.2.2. सरकारी लेखों की संरचना का चित्रमय प्रदर्शन:



1.2.3. लेखाओं का संकलन



1.3. वित्त लेखे और विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे, राजस्व व पूँजीगत लेखों के वित्तिय परिणामों व लोक ऋण तथा लोक लेखों के शेषों के साथ-साथ सरकार की प्राप्तियों व व्ययों को दर्शाते हैं। वित्त लेखे को अधिक सुगम व सूचनात्मक बनाने के लिये एक नये रूप में दो खण्डों में प्रकाशित किया गया है। खण्ड एक में नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के प्रमाण पत्र, सकल प्राप्तियों तथा व्ययों के सारांश संबंधी विवरणियां, लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां तथा लेखों की गुणवत्ता व अन्य मदों के साथ-साथ लेखों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

खण्ड-2 में अन्य सारांश संबंधी विवरणियां (भाग-1), विस्तृत विवरणियां (भाग-2) व अनुच्छेद (भाग-3) शामिल हैं।

वित्त लेखे 2011-12 में दिखाये गये राजस्व व पूँजीगत लेखे, लोक ऋण और दायित्व निम्न लिखित हैं।
(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल: 38,014)	राजस्व (कुल: 30,558)	कर राजस्व	23,081
		कर रहित राजस्व	4,722
		सहायतानुदान	2,755
	पूँजीगत (कुल: 7,456)	पूँजीगत प्राप्तियाँ	9
		ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	294
		उधार व अन्य दायित्व*	7,153
संवितरण (कुल: 38,014)	राजस्व		32,015
	पूँजीगत		5,372
	ऋण तथा अग्रिम		627

* उधार व अन्य दायित्व: लोक ऋण का (प्राप्तियां व संवितरण) निवल + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे में (प्राप्तियां व संवितरण) निवल + आरभिक व अंतिम रोकड़ शेषों का निवल

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतु कार्यान्वित अभिकरणों/और सरकारी संस्थानों की अधिकांश निधियां सीधे तौर पर हस्तांतरित करती हैं। इस वर्ष सीधे तौर पर भारत सरकार ने ₹ 2,009.71 करोड़ (₹ 1,308.84 करोड़ बीते वर्ष) जारी किये। चूंकि ये निधियां राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आयी, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रदर्शित नहीं की गईं। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खण्ड-II का परिशिष्ट-VII में दर्शायी गयी हैं।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे का अनुपूरक है। विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित दत्तमत और प्रभारित धनराशियों के विरुद्ध किये गये व्यय को प्रस्तुत करते हैं। इसमें 21 प्रभारित विनियोग तथा 65 दत्तमत अनुदानों के लेखे सम्मिलित हैं।

विनियोग अधिनियम 2011-12 में ₹ 4,329 करोड़ की अनुपूरक अनुदानों को सम्मिलित करते हुए ₹ 56,080 करोड़ के सकल व्यय की व्यवस्था की गई है। व्यय की कमी से वसूलियों के लिए ₹ 4,808 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था थी। विनियोग लेखे 2011-12 कुल प्रावधान ₹ 56,080 करोड़ के विरुद्ध ₹ 46,629 करोड़ के संवितरण को दर्शाते हैं। परिणाम स्वरूप अनुदानों और विनियोगों के विरुद्ध ₹ 9,451 करोड़ की बचत हुई है। ₹ 3,603 करोड़ की व्यय में कमी से संविधत वसूलियां बजट अनुदान की तुलना में ₹ 1,205 करोड़ की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 401 करोड़ संचित निधि से सार्वजनिक खाते के तहत व्यक्तिगत जमा लेखा, जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नामित प्रशासक के द्वारा रखा जाता है को हस्तांतरित किया गया है। आमतौर पर व्यक्तिगत जमा खातों के तहत अव्ययित शेष वित्तीय वर्ष के अन्त में वापस सरकार को हस्तांतरित किया जा रहा है। हालांकि, ऐसे स्थानान्तरण का ब्यौरा, यदि कोई हो और व्यक्तिगत जमा खातों में बकाया शेष खजानों के साथ ही उपलब्ध है, क्योंकि वे इस तरह के रिकार्ड के रख-रखाव के लिए जिम्मेवार हैं।

1.4. निधियों के स्रोत एवं उपयोग

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अपनी आर्थिक परिस्मापन स्थिति को बनाए रखने के लिए अर्थोपाय पेशियों की सुविधा देती है और उसके बाद जब कभी सहमत न्यूनतम रोकड़ शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी होती है तब ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देती है जिसका लेखा रिजर्व बैंक रखता है। वर्ष 2011-12 के दौरान हरियाणा सरकार ने ओवर ड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं उठाया और केवल चार बार 11 दिन के लिए अर्थोपाय पेशी प्राप्त की। इसे इस तथ्य के विपरित देखा जा सकता है कि कुल 44 अनुदानों में कुल ₹ 9,714 करोड़ रुपये की बचत थी परिणामस्वरूप अनुमानों के विरुद्ध व्यय में 21 प्रतिशत की कमी थी।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण


राज्य के पास ₹ 1,457 करोड़ के राजस्व घाटे और ₹ 7,153 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य धरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)¹ का क्रमशः 0.47 प्रतिशत एवं 2.31 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 19 प्रतिशत था। इसकी भरपाई लोक ऋण में (₹ 6,730 करोड़) तथा लोक लेखे में (₹ 2,209 करोड़) से वृद्धि, की गयी। राज्य की लगभग 56 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां (₹ 30,558 करोड़) प्रतिवर्द्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 9,879 करोड़) ब्याज भुगतान (₹ 4,001 करोड़) एवं पेशन (₹ 3,204 करोड़) पर खर्च हुईं।

¹ प्रकाशित राज्य सकल धरेलू उत्पाद के आंकड़े हरियाणा सरकार के योजना विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिये गये हैं।


निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

	विवरण	(₹ करोड़ में)
स्रोत	राशि	
	प्रारंभिक रोकड़ शेष 01.04.2011 को	(-) 1,776
	राजस्व प्राप्तियां	30,558
	पूंजीगत प्राप्तियां	9
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	294
	लोक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां भी शामिल हैं)	11,741
	भविष्य निधि, लधु बचत और अन्य	2,199
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	443
स्रोत	जमा प्राप्तियां	10,115
	सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	56
	उचन्त लेखे	26,587
	प्रेषण	5,658
	आकस्मिक निधि	-
	कुल	85,884
<hr/>		
	राजस्व व्यय	32,015
	पूंजीगत व्यय	5,372
	प्रदत्त ऋण	627
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय पेशगियां भी शामिल हैं)	5,012
	आकस्मिक निधि को विनियोजन	-
	भविष्य निधि लधु बचत और अन्य	1,480
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	459
अनुप्रयोग	जमा व्यय	9,289
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	57
	उचन्त लेखे	26,180
	प्रेषण	5,443
	अंतिम रोकड़ शेष 31.03.2012 को	(-) 50
	कुल	85,884

1.4.3. रूपये का आवक स्थान



1.4.4. रूपये का जावक स्थान



1.5 लेखे के मुख्य अंश

(₹ करोड़ में)

		बजट अनुगाम 2011-12	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुगाम से प्रतिशतता (एस)	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी से प्रतिशतता (एस)
1	कर राजस्व @	22,772	23,081	101	7
2	कर भिन्न राजस्व	4,287	4,722	110	1.5
3	सहायकता अनुदान तथा अंशदान	4,959	2,755	56	1
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	32,018	30,558	95	10
5	ऋणों की वस्तुली	233	294	126	0
6	अन्य प्राप्तियाँ	17	9	53	0
7	उधार एवं अन्य दायित्व (क)	11,048	7,153	65	2
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	11,298	7,456	66	2
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	43,316	38,014	88	12
10	योजनेतर व्यय (*)	26,729	25,504	95	8
11	राजस्व लेखे पर योजनेतर व्यय	26,174	24,223	93	8
12	मद संख्या 11 में से व्याज के भुगतान पर योजनेतर व्यय	4,380	4,001	91	1
13	पूँजीगत लेखे पर योजनेतर व्यय	555	1,281	231	0
14	योजनागत व्यय (*)	16,587	12,510	75	4
15	राजस्व लेखे पर योजनागत व्यय	10,678	7,792	73	3
16	पूँजीगत लेखे पर योजनागत व्यय	5,909	4,718	80	2
17	कुल व्यय (10+14)	43,316	38,014	88	12
18	राजस्व व्यय (11+15)	36,852	32,015	87	10
19	पूँजीगत व्यय (13+16)(#)	6,464	5,999	93	2
20	राजस्व आधिक्य धाटा (4-18)	-4,834	-1,457	30	(-1)
21	राजकोषीय धाटा (4+5+6-17)	-11,048	-7,153	65	(-2)

(@) ₹2,682 करोड़ संघीय कर का राज्य का हिस्सा शामिल है।

(\$) ₹ 3,09,326 करोड़ जी.एस.डी.पी. योजना विभाग हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गये हैं।

(#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय (₹5,372 करोड़) तथा वितरित कर्जे तथा उधार (₹ 627 करोड़) शामिल हैं।

(*) योजनेतर व्यय ₹ 263 करोड़ और ऋण और अधिग्राह के लिए योजनागत ₹ 364 करोड़ स्वयं शामिल हैं।

(क) उधार तथा अन्य दायित्व: निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) लोक ऋण + निवल आकर्षित निवल + निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) लोक लेखे + नकद प्राप्तियाँ का आरंभिक शेष निवल

1.6**घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शाते हैं?**

घाटा	राजस्व एवं व्ययों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे का प्रकार, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया एवं निधियों के उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक के महत्वपूर्ण संकेतक है।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्ययों के अन्तर को संदर्भित करता है। राजस्व व्यय के लिए सरकार की वर्तमान स्थापना को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि यह व्यय पूरी तरह राजस्व प्राप्तियों से ही हो।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधार छोड़कर) और कुल व्यय के बीच अंतर को संदर्भित करता है। यह अंतर, इस प्रकार इंगित करता है कि कौन सा व्यय उधार द्वारा वित्त पोषित है। आदर्श रूप में उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित करना चाहिए।

अर्थस्थाईत्व के लिए राज्यकोषीय प्रबंधन बनाए रखने हेतु 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं ऋण समेकन व राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ) के अन्तर्गत भारत सरकार ने लम्बित केन्द्रीय ऋणों की वसूली 20 वार्षिक किस्तों में पुर्ननिर्धारित की। यह भी घोषणा की गई कि ऐसी किस्तों की ऋण माफी तभी की जाएगी जब राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. के 3 प्रतिशत तक होगा। तदानुसार राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, जुलाई 2005 में, राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर घटाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार राजस्व घाटे को वर्ष 2008-09 तक शून्य पर लाना तथा राजकोषीय घाटे की सीमा अधिकतम, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक रखना था। राजस्व घाटे को शून्य करने की शर्त में 2008-09 तथा 2009-10 के लिए ढील दी गई थी। राजकोषीय घाटे के संबंध में वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के, ऋण समेकन तथा राहत सुविधा हेतु, दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए 2008-09 हेतु लक्ष्य में स.रा.घ.उ. के 3 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तथा 2009-10 हेतु स.रा.घ.उ. के 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की ढील दी गई। हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार आकस्मिकता देनदारी सहित कुल बकाया ऋण की सीमा, 2005-06 से 2011-12 तक के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, 28 प्रतिशत थी। राज्य के स्थिति प्रतिवेदन नीचे दर्शायी गयी है:-

(₹ करोड़ में)


मर्दे	2005-06 वास्तविक	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक
राजस्व घाटा	-12,13.42	-15,90.28	-22,23.87	20,82.42	42,64.72	27,46.52	14,57.30
स.रा.घ.उ.की प्रतिशतता में	-1.12	-1.22	-1.44	1.14	1.97	1.07	0.47
राजकोषीय घाटा	2,85.86	-11,78.70	12,63.85	65,57.80	1,00,90.66	72,58.44	71,53.34
स.रा.घ.उ.की प्रतिशतता में	0.26	-0.91	0.82	3.59	4.67	2.82	2.31
बकाया राशि आकस्मिकता देनदारियों सहित	3,18,94.79	3,25,87.64	3,13,47.65	3,63,92.00	4,37,66.46	5,08,09.44	6,01,47.49
स.रा.घ.उ.की प्रतिशतता में	29.41	25.04	20.32	19.90	20.24	19.71	19.44

यह तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक राज्य, राजस्व बचत वाला राज्य रहा। राज्य, वर्ष 2008-09 से 2011-12 में राजस्व घाटे वाला राज्य रहा। राजकोषीय घाटे के संबंध में यह कहा जाता है कि 2005-06 से 2007-08 तक राज्य स.रा.घ.उ. के 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहा है एवं वर्ष 2008-09 में राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के विरुद्ध, 3.50 से बढ़कर 3.59 रही तथा 2009-10 में, 4.00 से बढ़ कर 4.67 रही, जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान घटकर स.रा.घ.उ. का 2.82 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 2.31 प्रतिशत हो गई जो कि निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के अन्तर्गत थी।


आकस्मिकता देनदारियों सहित बकाया ऋण वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक स.रा.घ.उ. के 28 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रहा।

13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत भारत सरकार से ₹ 1000 करोड़ निरूप्त अनुदान वर्ष 2011-12 से 2013-14 (₹ 250 करोड़ प्रति वर्ष) प्राप्त होने हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 180 करोड़ प्राप्त हुए।

1.6.1 राजस्व घाटा/आधिक्य के रूझान:




1.6.2 राजकोषीय घाटा के रूझान:



1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

(₹ करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
उधार निधि	4,460	6,524	4,474	3,349	2,012	844	3,888	8,455	10,513	11,741
पूंजीगत व्यय	436	386	897	1,612	2,428	3,426	4,402	5,218	4,031	5,372



यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई रकम का उपयोग मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व प्राप्ति का पूरी तरह से उपयोग करें। बहरहाल राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹11,741 करोड़) का केवल 46 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (₹ 5,372 करोड़) पर खर्च कर पाई। इससे यह प्रकट होता है कि लोक ऋण का 54 प्रतिशत (₹ 6,369 करोड़) पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान, चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, वर्ष के अंत में सकारात्मक रोकड़ अधिशेष बनाए रखने के लिए तथा खजाना बिलों में निवेश हेतु उपयोग किया गया।

अध्याय 2


प्राप्तियाँ

2.1. परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2011-12 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 38,014 करोड़ रही।

2.2. राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के तहत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं राज्य द्वारा संग्रहीत और रखे गए कर इसके अन्तर्गत आते हैं।
कर भिन्न राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ आदि शामिल होते हैं।
सहायतानुदान	मूलतः केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को संघ सरकार की ओर से सहायता का एक रूप है इसमें वाहरी सहायतानुदान तथा सहायता सामग्री व उपकरण जो विदेशों से प्राप्त हुए हैं, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं भी शामिल हैं।



राजस्व प्राप्ति घटक (2011-12)

घटक	(₹ करोड़ में)
	वास्तविक आंकड़े
क. राजस्व कर	23,081
आय और व्यय पर कर	1,592
पूंजी हस्तान्तरण और सम्पत्ति पर कर	2,808
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर	18,681
ख. कर भिन्न राजस्व	4,722
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभ और लाभांश	867
सामान्य सेवायें	336
सामाजिक सेवायें	1,484
आर्थिक सेवायें	2,035
ग. सहायतानुदान एवं अंशदान	2,755
कुल- राजस्व प्राप्तियाँ	30,558


2.3. प्राप्तियों के रुझान

(₹ करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कर राजस्व (राज्य के स्वयं कर राजस्व)	5,552 (8)	6,349 (8)	7,441 (9)	9,078 (10)	10,927 (8)	11,618 (8)	11,655 (6)	13,220 (6)	16,790 (6)	20,399 (6)
संघ करों में राज्य का हिस्सा	754 (1)	600 (1)	619 (1)	1,201 (1)	1,296 (1)	1,634 (1)	1,725 (1)	1,774 (1)	2,302 (1)	2,682 (1)
कर भिन्न राजस्व	1,808 (3)	2,223 (3)	2,544 (3)	2,459 (3)	4,591 (4)	5,097 (3)	3,238 (2)	2,742 (1)	3,421 (2)	4,722 (2)
सहायतानुदान	543 (1)	671 (1)	545 (1)	1,115 (1)	1,138 (1)	1,402 (1)	1,834 (1)	3,257 (2)	3,051 (1)	2,755 (1)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	8,657 (13)	9,843 (13)	11,149 (14)	13,853 (15)	17,952 (14)	19,751 (13)	18,452 (10)	20,993 (10)	25,564 (10)	30,558 (10)
सकल राज्य धरेलू उत्पादन	66,626	72,980	80,665	93,441	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793	3,09,326

नोट: कोष्ठकों में आंकड़े, सकल राज्य धरेलू उत्पाद में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।


वर्ष 2011-12 के सकल राज्य धरेलू उत्पाद आंकड़े पुर्वानुमानित हैं।



क्षेत्रवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
क. आय और व्यय पर कर	220	229	282	600	650	867	921	1,137	1,375	1,592
ख. सम्पत्ति और पूँजीगत लेनदेन पर कर	551	716	739	1,353	1,778	1,773	1,335	1,305	2,331	2,808
ग. वस्तुओं और सेवाओं पर कर	5,535	6,004	7,039	8,326	9,795	10,612	11,124	12,552	15,386	18,681
कुल राजस्व कर	6,306	6,949	8,060	10,279	12,223	13,252	13,380	14,994	19,092	23,081



2.4 राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व कर	संघ कर का राज्य अंश	राज्य का अपना कर राजस्व	
			रुपये	सकल राज्य धरेलू उत्पाद का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2002-03	6,306	754	5,552	8
2003-04	6,949	600	6,349	8
2004-05	8,060	619	7,441	9
2005-06	10,279	1,201	9,078	10
2006-07	12,223	1,296	10,927	8
2007-08	13,252	1,634	11,618	8
2008-09	13,380	1,725	11,655	6
2009-10	14,494	1,774	13,220	6
2010-11	19,092	2,302	16,790	6
2011-12	23,081	2,682	20,399	6

2.5 कर संग्रह की कार्यकुशलता:

क. पूँजीगत लेन-देन और सम्पत्ति पर कर

(₹ करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व संग्रह	551	716	739	1,353	1,778	1,773	1,335	1,305	2,331	2,808
संग्रह पर व्यय	36	40	42	47	65	72	93	117	121	116
कर संग्रह में कार्यकुशलता	7%	6%	6%	4%	4%	4%	7%	9%	5%	4%

ख. वस्तुओं और सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व संग्रह	5,535	6,004	7,039	8,326	9,795	10,612	11,124	12,252	15,386	18,681
संग्रह पर व्यय	58	52	58	63	67	71	95	114	127	127
कर संग्रह के कार्यक्रमशालता	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

वस्तुओं और सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। कर संग्रहण क्षमता उत्कृष्ट है, हालांकि संपत्ति और पूँजीगत लेन-देन पर करों की संग्रहण क्षमता में सुधार किया जा सकता है।

2.6 पिछले 10 वर्षों में संघ करों में राज्य के हिस्से का रुझान


(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
निगम कर	114	132	200	337	404	518	565	730	900	1,056
आय पर निगम कर से भिन्न कर	104	97	82	263	246	348	355	407	475	536
सम्पत्ति पर कर	-	-	-	1	1	1	1	2	2	4
सीमा शुल्क	123	141	129	218	253	309	330	248	403	465
संघ उत्पाद शुल्क	206	208	174	297	268	295	288	200	293	301
सेवा कर	17	20	34	85	124	163	186	187	229	320
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	190	2	-	-	-	-	-	-	-	-
संघ कर का राज्यों का हिस्सा	754	600	619	1,201	1,296	1,634	1,725	1,774	2,302	2,682
कुल कर राजस्व	6,306	6,949	8,060	10,279	12,223	13,252	13,380	14,494	19,092	23,081
कुल कर राजस्व में संघ कर की प्रतिशतता	12	9	8	12	11	12	13	12	12	12

हरियाणा सरकार को वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक संघ कर से राज्य का हिस्सा 8 प्रतिशत से 13 प्रतिशत की दर से प्राप्त हो रहा है।

2.7 सहायतानुदान

सहायतानुदान भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता को दर्शाता है, और इसमें राज्य योजनागत योजनाएं, केन्द्रीय योजनागत योजनाएं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, योजना आयोग और राज्य वित्त आयोग से सिफारिश की गयी गैर योजनागत अनुदान द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए अनुदान शामिल है। वर्ष 2011-12 के दौरान सहायता अनुदान के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 2,755 करोड़ थीं जिन्हें कि नीचे दिखाया गया है।



वर्ष 2011-12 के दौरान गैर योजनागत अनुदान की हिस्सेदारी वर्ष 2010-11 के कुल सहायतानुदान 58 प्रतिशत से घटकर 45 प्रतिशत हुई है। जबकि वर्ष 2011-12 में योजनागत स्कीम अनुदान में हिस्सेदारी वर्ष 2010-11 के 24 प्रतिशत से बढ़ कर 28 प्रतिशत हुई है। योजनागत स्कीम में संघ का हिस्सा जो कि बजट अनुमान में ₹ 3,256 करोड़ था के विरुद्ध राज्य सरकार को वास्तव में ₹ 1,509 करोड़ (बजट अनुमान का 46 प्रतिशत) सहायतानुदान के रूप में प्राप्त हुआ।

2.8 लोक ऋण

पिछले 10 वर्षों में लोक ऋण (निवल) का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आंतरिक ऋण	1,719	4,131	2,872	2,311	988	48	2,644	5,743	5,688	6,857
केन्द्रीय ऋण	(-2)	(-1,636)	(-1,412)	(-70)	(-90)	(-45)	(-48)	(-34)	184	(-127)
कुल लोक ऋण	1,717	2,495	1,460	2,241	898	3	2,596	5,709	5,872	6,730

नोट- नकारात्मक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अदायगी प्राप्तियों से अधिक है।

वर्ष 2011-12 में 9 ऋण कुल योग ₹ 6,357 करोड़ भिन्न व्याज दरों 8.36 प्रतिशत से 9.39 प्रतिशत पर उठाए गए थे जो कि 2021-22 में सम मूल्य पर प्रतिदेय थे।

वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार का कुल आंतरिक ऋण ₹ 11,643 करोड़ जिसमें केन्द्रीय ऋण घटक ₹ 98 करोड़ भी शामिल थी, पूँजीगत व्यय जो कि केवल ₹ 5,372 करोड़ (46 प्रतिशत) था, दर्शाता है कि बाकी का लोक ऋण गैर विकासात्मक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

अध्याय 3

व्यय

3.1. परिचय

व्यय को राजस्व और पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संगठन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। पूँजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण अथवा इनमें वृद्धि करने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने में किया जाता है। व्यय को आगे योजनागत और गैरयोजनागत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है।

सामान्य सेवायें	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग पेंशन इत्यादि शामिल
सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण शामिल
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन शामिल।

3.2. राजस्व व्यय

पिछले 10 वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के विरुद्ध व्ययों की कमी का विवरण नीचे दिया है।

(₹ करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अनुमानित बजट	9,664	10,390	11,340	13,058	16,929	18,521	23,364	27,519	33,062	37,234
वास्तविक	9,342	10,282	11,583	12,800	16,494	17,641	20,635	25,435	28,713	32,116
अन्तर	322	108	- 243	258	434	880	2,729	2,084	4,349	5,118
अनुमान बजट से अधिक अन्तर का प्रतिशत	3	1	2	2	3	5	12	13	13	14

वर्ष 2011-12 में राजस्व व्यय ₹ 32,116 करोड़, बजट अनुमान से ₹ 5,118 करोड़ कम रहा।

बजट अनुमानों के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों में कमी (14 प्रतिशत) के कारण राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कुल राजस्व व्यय के 53 प्रतिशत के लगभग गैर योजनागत व्यय (वेतन, पेंशन इत्यादि) पर खर्च की गई। योजनागत व्यय में ₹ 4,383 करोड़ (वर्ष 2010-11) से ₹ 4,718 करोड़ (वर्ष 2011-12) 8 प्रतिशत की हुई है।

3.2.1 राजस्व व्यय का सेक्टर वितरण (2011-12)


(₹ करोड़ में)

अवयव	राशि	प्रतिशत
क. वित्तीय सेवायें	244	1
(i) पूंजी लेनदेन और सम्पति पर कर की वसूली	116	-
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर कर की वसूली	127	-
(iii) अन्य वित्तीय सेवाएं	1	-
ख. राज्य के अंग	442	2
ग. व्याज भुगतान और ऋण सेवाएं	4,152	13
घ. प्रशासनिक सेवाएं	2,177	7
ङ. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	3,205	10
च. सामाजिक सेवाएं	12,642	39
छ. आर्थिक सेवाएं	9,054	28
ज. सहायतानुदान और अंशदान	99	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	32,015	100

3.2.2 व्यय (2003-2012)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	सामाजिक सेवाएं	2,809	2,706	3,218	3,995	6,627	5,739	7,259	9,902	10,904	12,641
2.	आर्थिक सेवाएं	2,532	2,996	3,199	3,815	4,615	6,222	7,036	7,530	7,997	9,054
3.	ऋण और अग्रिम	1,946	2,142	2,286	2,142	2,316	2,396	2,386	2,809	3,424	4,152
4.	सामान्य सेवाएं	2,049	2,225	2,612	2,438	2,529	2,833	3,638	4,946	5,904	6,068



3.3. पूंजीगत व्यय

वर्ष 2011-12 का पूंजीगत संवितरण सकल धरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत जो कि बजट अनुमान से ₹ 465 करोड़ कम था।

3.3.1. पूंजीगत व्ययों का क्षेत्रवार संवितरण

वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 754 करोड़ खर्च किए (₹ 143 करोड़ मुख्य सिंचाई पर तथा ₹ 614 करोड़ मध्यम सिंचाई पर) और विभिन्न सांवधिक निगमों/कंपनियों/सोसायटियों में ₹ 614 करोड़ निवेश किए।


(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	सामान्य सेवाएं-पुलिस, भूमि राजस्व आदि	253	4
2.	सामाजिक सेवाएं-शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कल्याण, आदि	1,367	23
3.	आर्थिक सेवाएं-कृषि, ग्रामिण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन आदि	3,770	63
4.	ऋण और अग्रिम संवितरण	627	10
कुल		5,999	100

3.3.2 पिछले 10 वर्षों में पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)


क्रम सं.	क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	सामान्य सेवाएं	45	66	58	82	90	171	195	187	199	235
2.	सामाजिक सेवाएं	215	294	287	439	649	922	1,109	1,070	1,230	1,367
3.	आर्थिक सेवाएं	176	26	552	1,091	1,688	2,333	3,198	3,961	2,602	3,770
4.	ऋण और अधिगम	456	2,429	208	177	185	286	322	830	722	627
	कुल	892	2,815	1,105	1,789	2,612	3,712	4,834	6,048	4,753	5,999



अध्याय 4

योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2011-12)



4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 12,510 करोड़ कुल संवितरण के 33 प्रतिशत योजनागत व्यय को दर्शाता है (राज्य योजनागत के अन्तर्गत ₹ 10,867 करोड़, ₹ 1,279 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमें और ₹ 364 करोड़ ऋण और अग्रिम के तहत) था।

4.2.1 योजनागत व्यय का :

(₹ करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल व्यय	10,234	12,932	12,512	14,429	18,974	21,238	25,369	31,305	33,063	38,014
पुंजीगत व्यय	1,895	2,369	2,705	3,707	4,975	6,612	7,928	10,534	10,634	12,510
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	19	18	22	26	26	31	31	34	32	33
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4

4.2.2 पूंजीगत खाते के अंतर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल पूंजीगत व्यय	892	2,815	1,105	1,789	2,612	3,711	4,834	6,048	4,753	5,999
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	846	1,245	1,105	1,692	2,521	3,436	4,010	4,819	4,383	4,718
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत (योजनागत) और कुल पूंजीगत व्यय	95	44	100	95	97	93	83	80	92	79


4.3 गैर योजनागत व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 25,504 करोड़ कुल संवितरण के 67 प्रतिशत गैर योजनागत व्यय को दर्शाता है (₹ 24,223 करोड़ राजस्व और ₹ 1,281 करोड़ पूंजीगत के अन्तर्गत) था।

4.3.1 गैर योजनागत व्यय का : > ₹

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल व्यय	10,234	12,932	12,512	14,429	18,974	21,238	25,369	31,305	33,063	38,014
पूंजीगत व्यय	8,339	10,563	9,807	10,722	13,999	14,626	17,441	20,771	22,429	25,504
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	81	82	78	74	74	69	69	66	68	67
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	13	14	12	11	11	9	10	10	9	8

d g Q ; , oat h, l -Mhi lk d sv uqkr eaxS ; k\$ ukr Q ;




4.4 प्रतिबद्ध व्यय

घटक	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रतिबद्ध व्यय *	3,126	3,468	3,890	7,044	7,642	8,291	10,556	13,764	16,085	17,084
राजस्व व्यय	9,342	10,117	11,407	12,460	16,362	17,527	20,535	25,257	28,310	32,015
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्ति से प्रतिशत	38	35	35	52	42	42	57	66	63	56
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से प्रतिशत	33	34	34	57	47	47	51	54	57	53

प्रतिबद्ध व्यय पर अत्यधिक व्यय की प्रवृत्ति विकासात्मक व्यय के लिए सरकार को कम लचीलापन देती है।

* Ck vnk fx; kai sku vnk xho osu 'key gk gky fd o'kZ2002&03 | s2004&05 eaosu
'key ugh gk



अध्याय 5

विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे 2011-12 का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल	वारस्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1	राजस्व दत्तमत भारित	30,474 4,586	2,159 14	-4,570 -117	28,063 4,483	27,891 4,225	(-) 172 (-) 258
2	पूँजीगत दत्तमत भारित	9,018 50	633 30	(-) 1,233 (-) 4	8,418 76	8,806 69	388 (-) 7
3	लोक ऋण भारित	6,666	1,289	(-) 3,253	4,702	5,011	309
4	ऋण और अप्रिम दत्तमत	957	203	(-) 609	551	627	76
	कुल दत्तमत भारित	40,449 11,302	2,995 1333	(-) 6,412 (-) 3,374	37,032 9,261	37,324 9,305	292 44

5.2. पिछले 10 वर्षों का बचत और आधिक्य का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) /आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण और पेशागियां	
2002-03	(-) 886	(-) 1,079	(-) 887	110	(-) 2,742
2003-04	(-) 714	1,585	(-) 313	2,091	2,649
2004-05	(-) 548	(-) 2,302	(-) 2,006	(-) 60	(-) 4,916
2005-06	(-) 895	(-) 303	(-) 475	(-) 41	(-) 1,714
2006-07	(-) 435	(-) 606	(-) 684	(-) 7	(-) 1,732
2007-08	(-) 880	(-) 1,316	(-) 1,375	(-) 12	(-) 3,583
2008-09	(-) 2,729	(-) 1,256	(-) 1,097	(-) 137	(-) 5,219
2009-10	(-) 2,084	(-) 3,223	(-) 2,032	(-) 654	(-) 7,993
2010-11	(-) 4,349	(-) 5,410	(-) 3,226	(-) 881	(-) 13,866
2011-12	(-) 5,118	(-) 4,333	(-) 2,944	(-) 533	(-) 12,928

5.3. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत कुछ योजनाओं का गैर कार्यान्वयन कार्यक्रमों के धीमी कार्यान्वयन को इंगित करता है। जिन अनुदानों में लगातार बचत दिखाई गयी निम्न प्रकार हैं

(प्रतिशत में)

ग्रांट का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पशुपालन	22	23	8	13	11	1	3	10	7	8
सिंचाई	4	1	-	4	3	5	10	42	26	30

अध्याय 6

परिसम्पत्तियाँ और दायित्व

6.1. परिसम्पत्तियाँ

खातों के मौजूदा स्वरूप सरकारी परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि, भवनों आदि का पूर्ण रूप से सही मूल्यांकन नहीं दर्शाते। (अधिग्रहण-खरीद के वर्ष छोड़कर) इसी प्रकार खाते, केवल चालू वर्ष में होने वाले देनदारियों के प्रभाव को दर्शाते हैं वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं न कि देनदारियों का भविष्य में होने वाले सम्पूर्ण प्रभाव को।

वर्ष 2011-12 में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹ 6,982 करोड़ था। वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्ति ₹ 1.64 करोड़ (निवेश का 0.02 प्रतिशत) था। वर्ष 2011-12 में निवेश में ₹ 605 करोड़ की वृद्धि हुई है जबकि लाभांश आय में ₹ 0.84 करोड़ की कमी हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आरंभिक रोकड़ शेष ₹(-)1,776 करोड़ था। रोकड़ शेष 31 मार्च 2012 के अंत में ₹ (-) 50 करोड़ हो गया।

6.2. ऋण और दायित्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को संवित निधि की अभिरक्षा पर एक सीमा के भीतर, यदि कोई है उधार लेने की शक्तियाँ प्रदान करता है जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा दायित्वों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है


(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	जी.एस. डी.पी से %	लोक लेखा (*)	जी.एस. डी.पी से %	कुल दायित्व	जी.एस. डी.पी से %
2002-03	13,392	20	5,835	9	19,227	29
2003-04	15,887	22	6,307	9	22,194	30
2004-05	17,347	22	6,908	9	24,255	30
2005-06	19,588	21	7,435	8	27,023	30
2006-07	20,487	17	8,129	8	28,616	25
2007-08	20,489	14	8,628	6	29,117	20
2008-09	23,085	13	9,193	5	32,278	18
2009-10	28,795	14	10,542	5	39,337	19
2010-11	34,666	13	11,616	5	46,282	18
2011-12	41,396	13	13,144	4	54,540	18

(*) उचन्त और प्रेषण शेष से बाहर है।

नोट: वर्ष के अन्त तक आंकड़े प्रगतिशील शेष हैं।

वर्ष 2010-11 की तुलना में लोक ऋण और अन्य दायित्वों में ₹ 8,258 करोड़ (18%) की निविल वृद्धि हुई है।



6.3. गारंटी

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा दी गई पूँजी और उस पर व्याज के भुगतान की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्न तालिका में दिखाई गई है:-

वर्ष	अधिकतम गारंटी राशि (केवल मूलधन)	(₹ करोड़ में)	
		मूलधन	व्याज
2002-03	12,460	7,684	6
2003-04	9,457	5,869	38
2004-05	6,742	4,209	39
2005-06	8,448	5,627	17
2006-07	12,694	5,074	1
2007-08	6,341	4,401	-
2008-09	5,188	4,575	-
2009-10	4,757	4,575	-
2010-11	5,515	4,527	-
2011-12	10,690	5,608	-

अध्याय 7

अन्य मर्दे

7.1. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम

वर्ष 2011-12 के अन्त में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम का कुल योग ₹ 3,316 करोड़ था। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ₹ 1,897 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम दिये गये हैं। वर्ष 2011-12 के अंत तक मूलधन की वसूली ₹ 41 करोड़ तथा ब्याज की वसूली ₹ 78 करोड़ बकाया थी।

7.2. स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता

वर्ष 2002-03 से वर्ष 2011-12 तक बीते 10 वर्षों में स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायतानुदान में ₹ 608 करोड़ से ₹ 4,314 करोड़ की वृद्धि हुई है। जिला परिषद, पंचायत समितियाँ तथा नगरपालिकाओं, (₹ 797 करोड़) को कुल सहायतानुदान का 19 प्रतिशत आबंटन किया गया है।

बीते 10 वर्षों के सहायतानुदान का विस्तृत विवरण निम्न दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगरपालिका	पंचायत समिति	अन्य	कुल
2002-03				608	608
2003-04				727	727
2004-05				518	518
2005-06				842	842
2006-07	--	--	--	922	922
2007-08	--	--	--	1,572	1,572
2008-09	--	--	--	2,053	2,053
2009-10	626	306	--	1,724	2,656
2010-11	687	288	--	1,979	2,954
2011-12	797	924	--	2,593	4,314

7.3 रोकड़ शेष का निवेश और नकदी शेष

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2012 तक	31 मार्च 2011 तक	शुद्ध वृद्धि (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	(-)50	(-)1,776	1726
रोकड़ शेष से निवेश (जी.ओ.आई. खजाना बिल)	371	684	(-)313
निर्धारित निधि शेष से निवेश	1,838	1,455	383
(क) निकेप निधि	715	524	191
(ख) गारंटी मोचन निधि	70	64	6
(ग) अन्य निधि	1,053	867	186
ब्याज प्राप्ति	41	41	-

वर्ष 2011-12 में रोकड़ तथा पृथक रक्षित शेषों के निवेश के बावजूद भी राज्य सरकार का अन्त शेष ऋणात्मक था।

7.4 लेखाओं का समाशोधन

लेखे की यथार्थता और विश्वसनीयता अन्य बातों के साथ विभागीय आंकड़ों की लेखा आंकड़ों से समय पर मिलान होने पर निर्भर करती है। वार्षिक लेखे बंद होने से पहले कार्यालय अध्यक्ष विभागीय लेखा आंकड़ों का महालेखाकार द्वारा संकलित लेखे में दर्ज आंकड़ों से मिलान करते हैं। लेखा आंकड़ों का मिलान हर मास किया जाना होता है। वर्ष 2011-12 के दौरान सभी लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की गयी राशि का लेखा आंकड़ों से मिलान कर लिया गया।

7.5 वैयक्तिक जमा खाते

विशिष्ट प्रयोजनों हेतु समेकित निधि से धन हस्तान्तरण द्वारा सरकार वैयक्तिक जमा खाते खोलने के लिए प्राधिकृत है, जबकि प्रशासकों को यह लेखे वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित शो को सरकारी खजाने (समेकित निधि) में जमा करके बन्द करने होते हैं एवं यह खाते आवश्यकता होने पर अगले वर्ष पुनः खोले जा सकते हैं। वैयक्तिक खाते में धन का हस्तान्तरण समेकित निधि (सेवा मुख्य शीर्षों) में खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है। वर्ष के दौरान वैयक्तिक खातों का विवरण निम्न प्रकार रहा-

(₹ करोड़ में)

आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान निपटान		अन्त शेष	
लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
259	1,88.61	..	4,76.20	30	4,01.32	229	2,63.49

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
हरियाणा, चण्डीगढ़